



## महिला पात्रों से सीरवें लीडरशिप

महाभारत अपनी शक्तिशाली कहानी और शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके पुरुष पात्र अक्सर केंद्र में होते हैं, किंतु इसकी सभी महिला पात्र भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। द्रौपदी, कुंती और गांधारी जैसी महिलाएं शक्ति, अनुकूलनशीलता और रणनीतिक कौशल का प्रतीक हैं, जो आधुनिक लीडर्स और प्रबंधकों को शिक्षाएं प्रदान करती हैं। जानते हैं इन्हीं महिला पात्रों से मिलने वाली सीखें। शांत रणनीतिकार कुंतীর राजनीतिक संघर्ष में उलझे एक राजसी परिवार में विवाहित, कुंती को पांडु के असामयिक नि्ण का बाद एक अकेली मां की भूमिका निभानी पड़ती है। चुनौतियों के बावजूद वे अपने बेटों– पांडवों का धर्म (कर्तव्य) और एकता की भावना के साथ लालन–पोषण करती है और सुनिश्चित करती है कि वे सभी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। संकटों को शालीनता और दीर्घकालिक दृष्टि से पार करने की कुंती की क्षमता एक आवश्यक नेतृत्व गुण है। लीडर्स को अक्सर अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है और कुंती की कहानी सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक सोच और संबंधों को पोषित करने के महत्त्व को रेखांकित करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान उनका धैर्य मुझे दृढ़ रहने, तत्काल चुनौतियों का समाधान करते हुए बड़े सकारात्मक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है।साहसी कूटनीतिज्ञ द्रौपदीरू द्रौपदी महाभारत के सबसे अद्भुत पात्रों में से एक है। उनकी बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और न्याय की अदृट भावना उन्हें एक दुर्जेय लीडर बनाती है। कौरव दरबार में उनके अपमान के बाद पांडवों को प्रेरित करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जो उनके व्यक्तिगत प्रतिशोध को धर्म के लिए एक युद्ध में बदल देती है। द्रौपदी की व्यक्तिगत पीड़ा को एक बड़े उद्देश्य में बदलने की क्षमता एक शक्तिशाली नेतृत्व गुण है। वह हमें सिखाती है कि महान लीडर सिर्फ अपने लक्ष्यों से प्रेरित नहीं होते, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण दुनिया बनाने की आकांक्षा से प्रेरित होते हैं।

स्थिर मातृसत्ता गांधारी रू हस्तिनापुर की रानी गांधारी त्याग और निष्ठा की मिसाल है। दृष्टिहीन पति धृतराष्ट्र के साथ अपनी भी आंखों पर पट्टी बांधने का उनका निर्णय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। फिर भी, दुर्घंधन के कुकर्मा के सामने उनकी चुप्पी निष्ठा और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन के बारे में सवाल उठाती है। गांाारी की कहानी प्रेरणा और चेतावनी दोनों का काम करती है। लीडर्स को असहज सच्चाइयों का सामना करने और मुश्किल स्थितियों में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार रहना चाहिए।बुद्धिमान सलाहकार सत्यवतीरू कुरु वंश की कुलमाता सत्यवती, घटनाओं को आकार देने में महत्त्वपूर्ण रही हैं। वंश और शक्ति को बनाए रखने की चुनौतियों के बावजूद, उनकी चतुराई और दृढ़ संकल्प ने हस्तिनापुर के भविष्य की नींव रखी। अपने वंश की भलाई के लिए कठिन विकल्प चुनने की उनकी क्षमता नेतृत्व में दूरदर्शिता और बातचीत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

मौन बलिदानी माद्री रू पांडु की दूसरी पत्नी माद्री बलिदान में निहित नेतृत्व का एक शांत रूप प्रदर्शित करती है। अपने परिवार की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागने के निर्णय से वे खुद से पहले दूसरों की सेवा करने के नेतृत्व के मूल को दर्शाती हैं। माद्री की कहानी सेवक नेतृत्व की शक्ति पर जोर देती है। सच्चे लीडर व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा अपनी टीम की जरूरतों और बड़े लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं।महाभारत की सभी महिला पात्र बताती हैं कि नेतृत्व केवल शक्ति की भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, यह लचीलेपन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक निर्णय लेने के माध्यम से प्रदर्शित होता है।

## हेल्थ कवरेज की राह में कई अड़चनें

जैसा कि हमेशा से कहा जाता रहा है कि ‘हेल्थ इज वैल्व’, वाकई में सही भी है क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो भौतिक संपत्ति के भी कोई मायने नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी वित्तीय कठिनाई के जब और जहां उन्हें इसकी आवश्यकता हो, उपलब्ध हो सके। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इससे संबंधित आंकड़े बड़े भयावह हैं। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4.5 बिलियन लोग आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह कवर नहीं हैं। वर्ष 2021 के इन आंकड़ों में लगभग 2 बिलियन लोग स्वास्थ्य सुविधा के लिए वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं एवं 344 मिलियन लोग स्वास्थ्य खर्चों के चलते अत्यधिक गरीबी की ओर जा रहे हैं। यह स्थिति किसी भी देश के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए ठीक नहीं है।हमारे देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की राह में कई अड़चनें हैं, जिनमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, स्वस्थ जीवन शैली और निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में जागरूकता की कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय पर बहुत कम निवेश, पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य को कम आवंटन आदि शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2021 में स्वास्थ्य सेवा पर वैश्विक व्यय 9.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 10.3 प्रतिशत है। विशेष रूप से शहरी देशों में तेज रफ्तार वाली जीवन शैली के चलते उत्पन्न हुई अवांछित स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत से वित्तीय बोझ में बढ़ोतरी हुई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज व्यक्तियों एवं परिवारों को बड़े स्वास्थ्य सेवा खर्चों से बचाता है एवं अनावश्यक वित्तीय बोझ को कम करता है।

सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से आयुष्मान भारत योजना वर्तमान में कार्यरत है जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जरूरतों को समग्र रूप से पूर्ण करती है। अन्य योजनाओं में नेशनल रूलर व अर्बन हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल आयुष मिशन व जनऔषधि परियोजना भी प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सबके बावजूद शत प्रतिशत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अभी भी दूर की कौड़ी है, जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वित प्रयासों की दरकार है। जन स्वास्थ्य पर व्यय को जीडीपी के अनुपात में बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती में वृद्धि, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना आज की महती आवश्यकता है।

–वंदिता नैन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
भारतीय समाज की कुछ कुरीतियों ने एक समय अनगिनत महिलाओं के जीवन की बलि ली, फिर चाहे वह सती प्रथा हो, दहेज प्रथा हो या घरेलू हिंसा। ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। हम आज भी अपने परिवार में अपनी माँ–दादी–नानी से इस तरह के कुप्रथाओं की ढेरों कहानियों सुन सकते हैं। कुछ समय पहले तक हमारे समाज में महिलाओं की मूल परवरिश उन्हें बेहद सहनशील, समर्पित और त्यागपूर्ण व्यक्तित्व की ओर ले जाती थी। उनके मानस पटल पर विवाह, पति, बच्चे और परिवार की छाप इतनी गहरी होती थी कि इसके बिना जीवन की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शिक्षित महिलाएं भी समाज के इस ढाँचे में पूर्ण रूप से रची बसती थी और यही वजह थी कि जिन घरों में उनके प्रेम और त्याग का तिरस्कार हुआ, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ, उनके व्यक्तित्व का दमन हुआ, वहाँ ये भी आवाज उठाने से परहेज करती रही।

नतीजतन पुरुषों में इस तरह के शोषण का व्यवहार प्रबल हुआ और हमने अपनी अनेकों माँ–बहनें इन्हीं कुप्रथाओं की भेंट चढ़ती देखी। यह वो दौर था जहां समाज की कुरीतियों से निपटने कि लिए और महिलाओं का जीवन सुरक्षित करने के लिए कानूनी संरक्षण महत्त्वपूर्ण हो गया था और उसी के चलते अनेकों विधान बनाये गए जो मूल रूप से समान ना होकर महिलाओं की तरफ झुकाव रखते थे, जैसे कि दहेज प्रतिरोधक अधि नियम, 498 । भा० दं० सं०, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम इत्यादि। शारीरिक प्रताड़ना के अतिरिक्त मानसिक प्रताड़ना को भी वैधानिक रूप से स्वीकार किया गया। एक जिम्मेदार समाज और एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर ये कदम सराहनीय थे और इनका संरक्षण पाकर बहुत सारी महिलाओं का जीवन और घर टूटने से बचे।

दुविधा शुरू हुई जहां समाज और माता–पिता ने अपनी बेटियों को सशक्त करने के लिए तो शिक्षा और समान परवरिश की तरफ रूख किया परंतु सरकार और कघनून ने समय अनुसार जरूरी बदलावों को नजरंदाज किया। नतीजारू हमारी बेटियाँ शिक्षित और सशक्त हुईं, हमारे बेटे सम्बेदनशील हुए परंतु कघनून की दृष्टि में महिला अब भी अबला रही और पुरुष आज भी अत्याचारी।

प्रायः यह बात सुनने में आती है कि समाज पुरुष–प्रधान है, परंतु इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि समाज पुरुष–प्रधान रहा है या फिर समाज ने पुरुष को प्रधान बना दिया है? अतीत में झोंक कर देखें तो हमारे समाज के प्रणेता अपनी माता के नाम से उतना ही जाने जाते थे जितना कि अपने पिता के, उदाहरण के लिए, श्री राम को कौशल्या–नंदन, लक्ष्मण को सुमित्रा–नंदन, श्री हनुमान को अंजनी–पुत्र, श्री कृष्ण को देवकी–नंदन एवं अर्जुन को पार्थ इत्यादि। भजन करते समय हम आज भी सीता–राम एवं राधे–श्याम कहते हैं। फिर कैसे पुरुष ही प्रधान बन गया और कैसे वह इतना बलशाली बन गया कि अब उसे कघनून से संरक्षण की आवश्यकता नहीं है?

जब बात विधि और विधायिका की आती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे की पुरुष का समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 354 ने महिलाओं से छेड़छाड़ को, धारा 375 ने यौन उत्पीड़न को, धारा 498 । ने ससुराल में होने वाले अत्याचार को आपराध बनाया, जिसकी परम आवश्यकता थी, परंतु समाज के आधे हिस्से की उपेक्षा की पराकाष्ठा तब होती है जब भारतीय दंड संहिता, 1860 को भारतीय न्याय संहिता, 2024 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और न्याय संहिता में भी उसे न्याय नहीं मिलता है अपितु अधिक अन्याय का भागी होता है, जब संसद यह मान लेती है कि एक पुरुष का दूसरा पुरुष भी यौन शोषण नहीं कर सकता (नई संहिता में भा०दं० सं० की धारा 377 को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है।)। 2013 में जब महिलाओं के कार्यालयों में होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने का अधि नियम बनाया गया तब भी यह मान लिया गया कि पुरुष का कार्यालय में यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता। अर्थात् पुरुष की अस्मिता को ना तो महिला से खतरा है न ही किसी अन्य पुरुष से। हमारा विधान यह मानता है की एक महिला एक पुरुष की हत्या तो कर सकती है परंतु उसका शोषण नहीं। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर भा०दं० सं० को थोपा, उनके अपने समानात्मक अधिनियम में यौन शोषण किसी भी व्यक्ति का हो सकता है और इसके लिए लैंगिक परिचय मायने नहीं रखता है और दुराचारी के लिए समान दंड है फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष।

दुःखद यह है कि यह विचित्र असमानता तब है जब की हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान वैधानिक संरक्षण का मौलिक अधिकार देता है। संविधान के अनुसार जहाँ महिलाओं के संरक्षण के लिए अलग से अधिनियम बनाने का अधिकार है और उसे लैंगिक–समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा वहीं संविधान यह कहीं नहीं कहता कि समाज के आधे से बड़े वर्ग को एक क्षेत्र में बिना किसी वैधानिक संरक्षण के छोड़ दिया जाए। जहाँ वि्दान महिलाओं पर होने वाले घरेलू शारीरिक एवं मानसिक हिंसा का संज्ञान लेता है वहीं पुरुषों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। स्व्ताः सुखाय यह मान लिया गया है कि पुरुषों के साथ घर में कभी कोई हिंसा हो ही नहीं सकती और मानसिक रूप से पुरुष को दुःखी करना असंभव है क्योंकि उसका हृदय तो भावनाओं का मरुस्थल है।

किसी भी गलत को सही करने की आवश्यकता होती है ना कि एक और गलत को बढ़ावा देने की और यही गलती हमसे एक समाज के तौर पर और न्यायालय से कानूनी तौर पर हुई है और निरंतर हो रही है। हमने अपनी बेटियों को सुरक्षित रहने और सामाजिक कुप्रथाओं से लड़ने के लिए तैयार तो किया परंतु उनकी सहनशीलता और त्याग की मूल स्त्रैण गुणों को विकसित ही नहीं होने दिया। हमने अपने बेटों को महिलाओं के प्रति सम्बेदनशील करने की ओर तो कदम बढ़ाया परंतु उनकी अपनी भावनात्मक

## इतिहास में अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे

भारत डोगरा इतिहास को कई बार राजा–रानियों के इतिहास और विभिन्न शासकों के आपसी युद्धों के संदर्भ में अधिक देखा जाता है। इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण यह समझ बनाना है कि इतिहास के किस दौर में मनुष्य ने, जनसाधारण ने बेहतर प्रगति की और कब यह वे पीछे हटे। उनके आगे बढ़ने या पिछड़ने के क्या कारण थे। यह समझना बहुत आवश्यक है।

प्रायरू मान लिया जाता है कि समय के साथ–साथ मनुष्य ने प्रगति अवश्य की होगी क्योंकि जैसे–जैसे विभिन्न आविष्कार होते गए, वैसे–वैसे मनुष्य की क्षमताएं बढ़ती गई होंगी। यह इतिहास की बहुत संकीर्ण व्याख्या है जो प्रगति की सही समझ पर आधारित नहीं है। मान लीजिए कि विज्ञान ने प्रगति की, नये आविष्कार हुए पर इन सबका दुरुपयोग ऐसे हुआ कि युद्ध महाविनाशक हथियारों से लड़े जाने लगे और पर्यावरण का बहुत विनाश होने लगा। तो इसे प्रगति कैसे माना जा सकता है? वास्तव में मनुष्य की प्रगति तो तब मानी जाएगी जब न्याय और समता, अमन–शांति, पर्यावरण और अन्य जीवों की रक्षा, परस्पर सहयोग और समन्वय की स्थितियाँ बेहतर होंगी।अतरू इतिहास के विभिन्न दौरों में हमें यह देखना होगा कि ऐसी स्थितियाँ आगे बढ़ती हैं या नहीं। मनुष्य आज जिस रूप में है, उससे मिलती–जुलती स्थिति में मनुष्य की मौजूदगी लगभग एक लाख वर्ष पूर्व दर्ज हुई है। यह कुछ कम अधिक भी हो सकती है पर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लगभग एक लाख वर्ष पहले हमारे जैसे समन्व धरती के अनेक भागों पर नजर आने लगे थे। दूसरी ओर, एक स्थान पर रह कर कृषि की शुरुआत लगभग 10 हजार वर्ष पूर्व ही आरंभ हुई। इस तरह अपने एक लाख वर्ष के इतिहास के पहले 9०० वर्षों में मनुष्य की मूल प्रवृत्ति यह थी कि वह छोटे समूहों में रहते थे और अधिकतर फल–फूल, कंद–मूल एकत्र कर और अवसर मिलने पर छोटा–बड़ा शिकार कर पेट भरते थे। आसपास उपलब्ध संसाधनों से वस्त्र और आवास की आपूर्ति कर लेते थे और मामूली औजार बना लेते थे।अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि ये समुदाय समता और सहयोग पर आधारित थे और उनमें ऊंच–नीच नहीं

### संपादकीय

## पुरुषों को भी चाहिए कानूनी संरक्षण

जरूरतों को नजरंदाज कर दिया। परिणामस्वरूप, हमारी सशक्त बेटियाँ भटक कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगीं और हमारे सम्बेदनशील बेटे अपनी पीड़ा को छुपाए अब भी अत्याचारी होने का बोझ ढो रहे हैं।

पिछले समय के दुर्गयपूर्ण वाक्यों जैसे शिखर धवन और मोहम्मद शम्मी ( प्रमुख भारतीय क्रिकेटर) के साथ हुए कघनूनी प्रकरण जिसमे इनकी पत्नियों ने भरण पोषण के कानूनी प्राध्वानों के साथ साथ इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और पितृत्व का उपहास एवं दुरुपयोग किया। विडंबना यह है कि हम अपने बेटों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील तो बनाना चाहते हैं परंतु उनकी अपनी भावनाएं, उनकी पीड़ा और उनका मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से नजरअंदाज करते हैं। हम पुरुषों से संवेदना की उम्मीद रखते हैं परंतु उसके प्रति संवेदना को हम स्वीकार तक नहीं करते। हम महिलाओं के प्रति सामाजिक और कानूनी रूप से एक तरफा सहानुभूति रखते हैं परंतु पुरुषों को होने वाली पीड़ा, मानसिक–शारीरिक असहजता और भावनात्मक कष्ट को अनदेखा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कघनून के इस बढ़ते दुरुपयोग से महिलाओं केवल पुरुषों का नुकसान कर रही हैं बल्कि ज्यादा नुकसान आज भी उन महिलाओं का हो रहा है जो आज भी अपने घरों में सामाजिक कुरीतियों और कुंठित मानसिकता का दंश झेल रही हैं। बचपन में शेर आने की झूठी अफवाह ने इतना निश्चित कर दिया कि जब सब में शेर आया तो किसी ने भरोसा ही नहीं किया। झूठे महिला उत्पीड़न के केस भी उसी शेर की झूठी अफवाह जैसे हैं जो असली पीड़ित महिलाओं के दर्द को नजरंदाज कर उन्हें कघनूनी संरक्षण तक पहुँचने ही नहीं देते।

जब भी पुरुषों को यौन उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा के वैधानिक संरक्षण से बाहर रखने पर प्रतिरोध व्यक्त किया जाता है तो प्रायः यह तर्क रखा जाता है कि यदि पुरुषों को भी समान वैधानिक अधिकार दे दिए गए तो उनका दुरुपयोग बढ़े होगा। इस प्रकार का तर्क, कुतर्क मात्र हो सकता है क्योंकि या ना केवल विधायिका की क्षमता एवं दूरदर्शिता पर प्रश्न उठता है अपितु सम्पूर्ण संविधान एवं न्याय व्यवस्था पर एक भीमकाय प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देता है। क्या महिलाओं को दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? क्या इस भय से कि अधिनियम का दुरुपयोग हो सकता है, अधिनियम ही नहीं बनाये जाएंगे? क्या किसी के दुरुपयोग करने के डर से पीड़ित को न्याय देने की व्यवस्था ही ना की जाए? क्या हमारी न्याय व्यवस्था एवं न्यायाधीश इतने भी सक्षम नहीं कि तथ्य एवं सत्यता तक पहुँच सकें? यदि एक भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, न्याय से वंचित रह जाता है तो सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था एवं न्याय प्रक्रिया पर प्रश्न उठ जाता है तो फिर जहाँ आधा समाज ही न्याय से वंचित



कर दिया जाता है वहाँ क्या होगा? न्याय बिना किसी भेद–भाव के होना चाहिये, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए।

जिस दिन किसी व्यक्ति को अन्याय से लड़ने के बजाय अपना जीवन त्याग देना सरल लगने लगे उस दिन उस व्यक्ति से पहले न्याय–व्यवस्था की सांसें उखड़ जाती हैं। हमारे पुरुषों के लिए ये कहना और समझना अत्यंत मुश्किल है कि वे भी भावनात्मक और मानसिक रूप से टूट रहे हैं, उन्हें भी बच्चे और पत्नी के बगैर घर काटने को दौड़ना है, उन्हें भी दफ्तर से लौटने कि बाद एक साथी चाहिए मन साझा करने के लिए और उन्हें भी दिल और विश्वास टूटने पर उतना ही कष्ट होता है जितना की महिला को। और इसके बाद भी एक पुरुष से ना केवल समाज बल्कि न्यायालय भी ये उम्मीद करते हैं कि वह केवल भरण पोषण भत्ते पर ध्यान दे और अपने बचाव में मुकदमा लड़े बिना किसी सहानुभुति की आशा किये।

पिछले एक दशक में न्यायपालयों ने इस बात का संज्ञान लिया है कि महिला संरक्षण अधिनियमों का दुरुपयोग हो रहा है और उन्हें रोकने के लिए कुछ निर्देश भी दिए हैं परंतु वह पर्याप्त नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनैश कुमार के केस में दिए गए निर्देश के उपरांत धारा 498 । के अंतर्गत होने वाली फर्जी गिरफ्तारी में भारी कमी आयी है जिसके परिणाम स्वरूप पति के परिवार पर लटकती कारागार की तलवार कुछ दूर तो हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को न्यायाधीश बी० वी० नागरत्ना एवं न्यायाधीश एन० कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ के द्वारा यह बात मानी कि पिछले कुछ समय में धारा 498 । के प्रावधानों के दुरुपयोग में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है। न्यायालय ने माना कि इसका दुरुपयोग पति एवं उसके परिवारजनों एवं परिजनों के विरुद्ध व्यक्तिगत कलह एवं द्वेष के कारण बदले की भावना से अधिाक किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे निराधार आरोपों और विवादों को ठीक से समझ कर शीघ्र नहीं रोका गया तो यह ना केवल वैधानिक प्राक्ानां का दुरुपयोग होगा अपितु पत्नी द्वारा पति को विवश करने के हथियार के रूप में भी प्रयोग होगा। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अतः न्यायव्यवस्था के सभी स्तरों पर यह अनिवार्य हो जाता है कि पति–पत्नी के मध्य विवादों को सुलझाते समय जनपद–न्यायालय

भी उतने ही जागरूक हों और प्रयास करें की ऐसे विवाद शीघ्र और न्यायपूर्ण पथ से संपूर्णता की ओर अग्रसर हों ना कि भावनात्मक एवं विस्थापित सहानुभूति का निवाला बन कर एक पक्ष को सम्पूर्ण न्यायिक निराशा का उपहार दें। परिवार के भीतर की परेशानियों का समाधान मात्र कघनून से तब तक नहीं हो सकता जब तक उस कघनून में संवेदनशीलता, सामाजिक परिवेश और तेजी से बदलते समय का आकलन ना हो। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए की कानून समाज के लिए है और जो कघनून समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता वह मृतप्राय हो जाता है। महिलाओं द्वारा अपने हकध के कघनूनों का दुरुपयोग उनके अनुभवों और उनकी हकध के लिए नहीं बल्कि किसी पुरुष से बदला लेने और अपनी जिद की पूर्ति लिए करती है तो एक समाज के तौर पर हमारी और उसके परिवार की हार है और ऐसे दुस्साहसकों को बिना सही खोज बीन किए यंत्रिक ढंग से जारी रहने देना हमारे कघनूनी व्यवस्था की हार है।

मेरे निजी अनुभव में मुझे इस समस्या की असली गहरायी उस दिन पता चली जिस दिन मैंने परिवारिक न्यायालय में दो चेहरों को ध्यान से देखा। पहला चेहरा एक 22 साल की युवती का था जिसका तलाक़्क हो रहा था। उस युवती को मुआवजे के तौर पर ससुराल पक्ष की ओर से एक चेक दिया गया था। मुझे दुःख और हैरानी दोनों ही अनुभवमें से एक साथ गुजरने का अवसर प्राप्त हुआ जब उस युवती के चेहरे पर मैंने सम्बन्ध विच्छेद के दुःख की एक भी लकीर न पाकर, मुआवजे की रकम मिल जाने की अद्भुत खुशी देखी। वो युवती उस रकम के चेक को देखकर इतनी प्रफुल्लित थी की उसके बाद न्यायाधीश महोदय ने क्या पूछा क्या कहा उसे कुछ भी भान नहीं। उसी दिन दुःख और बेबसी की संयुक्त भावना से भी गुजरना हुआ जब मैंने एक 24–25 साल के युवा पुरुष को तलाक मिलने के बाद कहते सुना ‘पहले ठीक ही करते थे जो इन्हें मार–पीट कर रखते थे, वरना ये जिद और लालच में आदमी का जीवन बर्बाद कर देती हैं।’

ये दोनों ही घटनाएँ एक अधिवक्ता और एक महिला होने के नाते मुझे झकझोर गयीं क्योंकि महिला कानूनों के दुरुपयोग के इस दौर ने ना केवल असली पीड़ित महिलाओं के लिए अविश्वास पैदा कर दिया है बल्कि संवेदनशील और अच्छे पुरुषों की दृष्टि में महिलाओं की छवि धूमिल कर दी है और इस स्थिति के लिए समाज और कघनून बराबर जिम्मेदार है।

हम सामाजिक और कघनूनी दोनों तौर पर यह भूल गए कि दुःख और अन्याय का कोई लिंग नहीं होता। दहेज और शोषण पर बली चढ़ी एक बेटे हो या झूठे मुकध्दमे में फँसा एक बेटा, दोनों ही उस महिला की हार है जो एक माँ है और परिवार और समाज के लिए दोनों घातक हैं। न्यायालयों द्वारा यंत्र चलित तरीके से भरण पोषण के अंतर्गत पुरुष को आदेश देने से पहले महिला की शिक्षा, उसकी सामाजिक प्रफूमूमि और पुरुष को होने वाली व्यावहारिक और वास्तविक पीड़ा को भी महेंजर रखना चाहिए। आज भी अनेकों निर्णयों कि बावजूद न्यायालयों द्वारा ये कहना ‘ भीख मॉंगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए परंतु अपनी पत्नी को भरण पोषण भत्ता दीजिए ‘ समाज और महिला सशक्तिकरण को मारा हुआ वो तमाचा है जो मेहनत करके आगे बढ़ने वाली महिलाओं को अपमानित करता है और पति की वैवाहिक जिम्मेदारी को महिला कि लिए पैसे कामने का एक जरिया मात्र बना छोड़ता है। इस तरह की अनुचित सहानुभूति समाज में महिला और पुरुषों के बीच की खाई को और गहरा करते हुए आने वाली पीढ़ी को अविश्वास की ओर धकेल रही है जिसके दूरगामी परिणाम सोचकर डर लगता है।समाज में सही और संतुलित न्यायिक व्यवस्था ना दे पाने का परिणाम बहुत ही घातक है। चाहे वह महिलाओं का शोषण हो या फिर पुरुष का, दोनों ही स्थिति में लोगों का विवाह जौरी पतिव्रत व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। परिणामस्वरूप, या तो एक बड़ा वर्ग विवाह से दूर हो जाता है, या फिर विवाह से पहले ही तलाक की तैयारी की जाती है जिसके अंतर्गत विवाह–पूर्व–अनुबंध बनाये जाते हैं। विवाह–पूर्व–अनुबंध विदेशों में प्रचलित है परंतु भारत में इनकी कमी न्यायतः नहीं है फिर भी कोई हकध इसके बारे में प्रश्न करने लगे हैं। इस प्रकार की विचारधारा का जन्म लेना मात्र हमारे समाज के लिए खध्दरे की घंटी है और इनकी उपेक्षा आने वाले समय में हमारे समाज और हमारी संस्कृति के लिए बहुत भारी पड़ेगी।यह अस्तुलित व्यवस्था शनैरू दृ शनैक परिवार में और संबंधों में अविश्वास की जड़ों को सशक कर रही है जिसके फलस्वरूप देश की सबसे छोटी इकाई जिसे परिवार कहते हैं, टूट रही है। परिवार देश की जड़ हैं क्योंकि एक देश की सम्पूर्ण सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्वत्ता का निर्माण एवं संवहन परिवार से ही होता है और इस प्रकार यह देश की जड़ पर प्रहार है। इसलिये यह अब परम–आवश्यक है कि हम शीघ्र ही इस गंभीर समस्या पर लिंग–भेद से परे होकर विचार करें और एक निष्पक्ष एवं संतुलित कघनूनी व्यवस्था का विस्तार करें जिससे की कोई और युवा, पुरुष या महिला, अतुल सुभाष के रास्ते पर ना जाए। इस से पहले की ये असमानता हमरी युवा पीढ़ी की और बलि ले, इसे बदलते सामाजिक परिवेश के हिसाब से ढालना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अंत में सभी महिलाओं से बस इतना कहना चाहती हूँ की हम एक बहुत लंबे, कष्टदायक और शोषित समय से उबरकर बाहर आने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस लिए कम से कम हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए की शोषण और पीड़ा का कोई लिंग नहीं होता और ये पुरुषों कि लिए भी उतनी ही कष्पायक है जितनी हमारे लिए। एक स्त्री होने कि नाते हमें इस बात का बीड़ा उठाना चाहिए की जो अन्याय हमारे साथ हुआ और आज भी बहुत जगह हो रहा है, हम वो अन्याय ना ही हमने साथ और ना ही किसी पुरुष के साथ होने देंगे। जिस दिन हर महिला बस इतना समझ लेगी, उस दिन बिना किसी कघनूनी बदलाव के भी, कोई अतुल सुभाष अपना जीवन देने के लिए मजबूर नहीं होगा।

## इतिहास में अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे

के बल पर इन भंडारों को लूटने का प्रयास किया। इस तरह ऊंच–नीच, शोषण, छीना–छपटी, युद्ध, राजा–प्रजा की प्रवृत्तियां बढ़ने लगीं।जब गांव और कृषि की उत्पादकता बढ़ी और आधिपत्य करने वालों ने किसानों से अधिक हिस्सा प्राप्त किया और इसके बल पर धीरे–धीरे शहरी सभ्यताओं की ओर बढ़े पर इन सभ्यताओं के पनपने और उनकी समृद्धि के साथ असमानता और शोषण भी बढ़ गए और शासक वर्ग अपनी विलासिता पर ही नहीं अपने भवनों और मकबरों पर भी अत्यधिक संसाधन खर्च करने लगे।इन्हें अंत में किसानों और मेहनतकशों के शोषण से प्राप्त किया। चंद सभ्यताओं की समृद्धि बढ़ी तो उन पर बाहरी हमले भी बढ़ने लगे और इन युद्धों के बर्दियों को गुलाम भी बनाया जाने लगा।

दूसरी ओर, जब जोर–जुलम बढ़ा तो इससे परेशान लोगों में नये सिरे से अमन–शांति, समानता और सादगी के लिए गहरी चाह उत्पन्न हुई और इसके फलस्वरूप कभी महात्मा बुद्ध के रूप में तो कभी महावीर जैन के रूप में अहिंसा, अमन–शांति, सादगी और सद्चिार का संदेश देने वाले महान मार्गदर्शकों ने नई राह दिखाई। यहां तक कि सम्राट अशोक जैसे महान विजेता शासक ने भी एक बड़ी विजय के बाद अमन–शांति की राह अपनाने में ही संतोष प्राप्त किया। दूसरी ओर, प्राचीन सभ्यताओं के विकास में जो रोमन साम्राज्य सबसे अधिक विस्तारवादी और पराक्रमी होने का गौरव रखता था, जिसकी सड़कों और भवनों का वैभव दूर–दूर तक विख्यात था, उस रोम साम्राज्य में ही गुलाम प्रथा, शोषण, विषमता, विलासिता, बुरे व्यसनों और चरित्र की गिरावट की भी पराकाष्ठा देखी गई।इस तरह इतिहास में अनेक उतार–चढ़ाव आते रहे पर एक मूल प्रवृत्ति यह देखी गई कि जब भी अमन–शांति, सहयोग और समता, न्याय और करुणा, पर्यावरण और जीव–जंतुओं की रक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। तमी मानव समाज को अधिक खुशहाली, सुकून संतोष मिल सके और वास्तविक प्रगति दे सके। यह इतिहास का एक बड़ा सबक है कि प्रगति, न्याय और समता, अमन–शांति और पर्यावरण की राह प्राप्त होती है, और इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है।



## प्रयागराज में ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 अरेस्ट

प्रयागराज। प्रयागराज पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए पांचों शांतिर बिहार के गिरोह के लिए हैंडलर का काम कर रहे थे। गांव के लोगों खाता खुलवाने के नाम पर आधार कार्ड ले लेते।

इसके बाद उन अकाउंट और आधार कार्ड के जरिए खोले गए खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर होती थी। आधार कार्ड, खाते की डिटेल मुहैया कराने पर गैंग के लीडर से मोटी रकम हासिल होती थी। पकड़े गए पांचों आरोपियों के पास से पुलिस ने 32 नए एटीएम कार्ड, 41 पासबुक, 23 चेकबुक, 07 फैन कार्ड 04 कोटक महिन्द्रा बैंक का भरा हुआ फार्म व 20 कूटरघित आधार कार्ड बरामद किया है।

नवाबगंज थाने की पुलिस, एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम ने इन शांतिरों को ट्रैप कर पकड़ा। सहायक पुलिस आयुक्त जग बहादुर यादव के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग गांव के भोले भाले लोगों को बैंक खाता खुलवाने के बदले पैसे देने का लालच देकर उनसे आधार कार्ड ले लिया करते थे। उनमें कूटरघना कर फर्जी आधार कार्ड बनाकर विभिन्न बैंक में खाता खुलवाते थे। उन खातों को बिहार में साइबर ठगी करने वाले गिरोह को महंगे दाम में बेचा करते थे।

पकड़े गए शांतिर आलोक राज कुर्मी पुत्र महेन्द्र प्रसाद निवासी राजा विगहा थाना अस्थामा जनपद नालन्दा बिहार

सुखवेन्द्र कुमार पुत्र बनारस प्रसाद कुर्मी निवासी ग्राम विलासपुर थाना मानपुर जनपद नालन्दा बिहार

निखिल शुक्ला पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना सोरांव प्रयागराज।

संदीप कुमार सरोज पुत्र लाल बहादुर सरोज निवासी ग्राम बीरनपुर थाना मांथाता जनपद प्रतापगढ़।

मो मुकीम सलमान पुत्र मो मोईन निवासी ग्राम कुल्हीपुर थाना मांथाता जनपद प्रतापगढ़।

## कोहरे की चादर में लिपटा रहा प्रयागराज

ठंड से कांपते रहे लोग, सर्द हवाओं और गलन ने बढ़ाई मुसीबतें प्रयागराज। प्रयागराज में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की सर्द रविवार को भी अपने चरम पर रही। शनिवार की रात से शुरू हुए कोहरे का असर रविवार की सुबह भी दिखाई दिया। सुबह की शुरुआत कोहरे की चादर में सिमटे रहने से हुई। गलन का असर इतना अधिक रहा है कि अलाव जलने के बाद भी उसके सामने बैठे लोग कांपते रहे। सर्द हवाओं के सितम के आगे हर कोई बेबस दिखा।

पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का असर प्रयागराज में लगातार दिख रहा है। यहां पर अधिकतम तापमान भी सामान्य से करीब दो डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री रहा।

कोहरे के बड़े प्रभाव को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी और पूर्व प्रोफेसर एचएन मिश्रा के अनुसार पछुआ विभाग का दिख रहा प्रभाव अचानक से मौसम में आए बदलाव का मुख्य कारण रहा है। इसके कारण ही मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के पीछे भी यही मुख्य कारण है। भूमध्य सागर से उठने वाली हवाओं के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई। आने वाले दस दिनों तक इसी प्रकार के हालात बने रहने की संभावना है।

प्रो. एचएन मिश्रा के अनुसार आने वाले दिनों में भी कोहरे का असर इसी प्रकार जारी रहेगा। इसके अलावा भीषण ठंड और गलन लोगों को परेशान करती रहेगी। वहीं गलन के कारण लोग घरों में बंद नजर आए। घरों में रूम हीटर और ब्लोवर के सहारे लोग से ठंड का प्रयास करते दिखे।

**उत्तर मध्य रेलवे**  
**गैर हाजिरी सूचना**

श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ, पदनाम- ट्रैकमेन्टर-II, अधीनस्थ-वरिष्ठ अभियंता/पी0वे0/30म0रे0/खागा, स्थाई पता- ग्राम व पोस्ट-कोडर जीत, तहसील-कुण्डा, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 230129 कि अनुपस्थित-16.04.2024 से अपनी इयुटी में बगैर किसी सूचना के आपुस्थित चल रहे हैं, जिसके सापेक्ष में रेल निर्यात के अन्तर्गत मानक फॉर्म-5 (मेजर पेनाल्टी चार्जशीट) आरोप सं0 E/CS/D&R/Anil Kumar Singh/2024/13 dated 14.08.2024 जारी किया गया तदुपरांत श्री ब्रह्मशंकर पाण्डेय, वरिष्ठ अभि0/रे0व0/भरवारी को दिनांक-13.09.2024 को जॉब अधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त मामले की जाँच करके जॉब अधिकारी ने जॉब कार्यवाही की सम्पूर्ण प्रवाविलियों सहित अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक-12.12.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जॉब प्रवाविलियों का अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि आरोपी एवं उसके सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए यह प्रतीत हुआ कि आरोपी रेल सेवा के प्रति अत्यन्त लापरवाह है। उपरोक्त के सम्बन्ध में कर्मचारी को दिनांक-14.12.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा निर्धारित समयवाची व्यतीत हो जाने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही करते हुए आपके विरुद्ध रेल सेवा से निष्कासन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। आरोपी कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने के बाद भी अभी तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ है। श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ, पदनाम- ट्रैकमेन्टर-II, अधीनस्थ-वरिष्ठ अभियंता/पी0वे0/30म0रे0/खागा (अनुशासनात्मक अधिकारी) सहा0 मण्डल अभि0/लाइन स्थाई पता- ग्राम व पोस्ट-कोडर जीत, तहसील-कुण्डा, जिला- प्रतापगढ़ (उ.प्र.) पिन कोड- 230129 (प्रयागराज) 11/25 (ADM) North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

# महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी देने वाला 11वीं का छात्र

दोस्त को फंसाने के लिए साजिश रची, कहा था- 1000 हिंदुओं को मारेंगे

प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला अरेस्ट हो गया है। यूपी पुलिस ने शनिवार को उसे बिहार के पूर्णिया से पकड़ा। आरोपी 11वीं का छात्र है। पूछताछ में सामने आया है कि दोस्त को फंसाने के लिए साजिश रची।

आरोपी छात्र हिंदू ने बताया- उसका कुछ दिन पहले दोस्त से झगड़ा हो गया। उसे फंसाने के लिए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और धमकी भरा पोस्ट शेयर कर दिया। फिलहाल, यूपी पुलिस की टीम उसे प्रयागराज लेकर आई है। ATS उससे पूछताछ कर रही है।

लिखा था- महाकुंभ में 1000 हिंदुओं को मारेंगे


छात्र ने 31 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर नसर पठान नाम की ID से 61 मकी दी थी। लिखा था- ऑल ऑफ यू तुम सब अपराधी हो। महाकुंभ में बम ब्लास्ट करेंगे। 1000 हिंदुओं को मारेंगे।

उसी दिन विपिन गौर नाम के युवक ने पोस्ट के स्क्रीनशॉट को डाउनलोड-112 यूपी पुलिस को टैग करते हुए शेयर किया। इसके बाद



पुलिस एक्टिव हुई। लखनऊ के यूपी-112 मुख्यालय के ऑपरेशन कमांडर अरविंद कुमार नैन ने पुलिस महानिदेशक अभिसूचना (लखनऊ), अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था (लखनऊ), अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा (लखनऊ), अपर पुलिस महानिदेशक ATS (लखनऊ) और SSP कुंभ को लेटर भेजा और जांच करने को कहा। महाकुंभ मेला कोतवाली थाने में अज्ञात को खिलाफ थट दर्ज की

गई। आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीमें लगाई गईं। सर्विलांस, IP एड्रेस ट्रेस करने पर पता चला कि जिस नंबर से यह ID बनाई गई। वह बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर शहीदगंज का है। फिर तीन टीमें बिहार पहुंचीं। बिहार पुलिस की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। इससे पहले, 24 दिसंबर को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पीलीभीत में 3 खालिस्तानियों के एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी दी थी। वीडियो जारी कर



कहा था- महाकुंभ को हिंदू आतंकवाद का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। वीडियो में वह पीलीभीत में मारे गए खालिस्तानी आतंकी को निर्दोष बता रहा। मृतकों के परिजन को 5-5 लाख की मदद के साथ ही अलग खालिस्तान बनाने का भी राग अलाप रहा।

अब महाकुंभ की सुरक्षा को भी जांचें 13 जनवरी, 2025 से शुरू हो रहा महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें करीब 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। पूरा मेला 4

हजार हेक्टेयर (15,840 बीघा) में बस रहा। पहली बार 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बन रहा है। कुंभ के इस मेले में सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। पूरे मेले को 25 सेक्टर में बांटा गया है। इसी आधार पर कुल 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई हैं।

इसमें 18479 पुरुष पुलिसकर्मी, 1378 महिला पुलिसकर्मी और 1405 ट्रैफिक पुलिस वाले तैनात होंगे। सशस्त्र पुलिसकर्मियों की संख्या 1158 होगी। मेले में 146 घुड़सवार पुलिसकर्मी भी होंगे। 340 जल पुलिसकर्मी संगम और आसपास के घाट पर तैनात रहेंगे। 13,965 होम गार्ड्स की भी तैनाती होगी।

मेले में किसी तरह की अराजकता या फिर साजिश को नाकाम करने के लिए स्प-के 510 जवानों की तैनाती होगी। 2013 के महाकुंभ में 22,998 पुलिसकर्मियों की तैनाती थी। 2019 के अर्ध कुंभ में 27,550 पुलिसकर्मी तैनात थे।

## कूड़ा गाड़ी पर लगा दिया महाकुंभ का लोगो

प्रयागराज। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में ही महाकुंभ के नए लोगो का अनावरण किया था। इस लोगो को पूरे देश में फैलाया जा रहा है। शहर से लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र तक लगे होर्डिंग व बैनर यानी हर जगह इस लोगो को जगह मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ने महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए इस लोगो को अपने कूड़ा गाड़ी पर चस्पा कर दिया है। इसका विरोध भी शुरू हो गया। इसकी शिकायत भी उच्चाधिकारियों से की गई है।

दरअसल, इस लोगो में बंधवा वाले बड़े हनुमानजी मंदिर की भी फोटो है और इसे कूड़ा गाड़ी पर चस्पा करने से भगवान का अपमान हो रहा है। कूड़ा गाड़ी में कूड़ा भरते और गिराते समय कचरा इस लोगो पर भी गिरता है जिसमें हनुमानजी का मंदिर है। इसकी शिकायत नगर आयुक्त समेत अन्य आला अधिकारियों से की गई है और तत्काल इसे हटवाने की मांग की गई है। धीरे-धीरे कुमार तिवारी ने नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र में इसके लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है लेकिन इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। धीरे-धीरे तिवारी ने पत्र में लिखा है "प्रयागराज में जितनी कूड़ा गाड़ियां हैं उस पर महाकुंभ का लोगो लगा दिया गया है। इसमें हनुमानजी की फोटो और मंदिर है। यहां हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।" उन्होंने कहा है कि यदि इसे शीघ्र ही नहीं हटाया जाता है तो इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाऊंगा।

## महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए चलेगी 40 इलेक्ट्रिक बसें

15 बसों का संचालन 13 जनवरी से पहले होगा, 25 बसें मौनी अमावस्या पर आएंगी



परिवहन विभाग द्वितीय चरण में डबल डेकर बसें भी संचालित करेगा। विभाग को दूसरे चरण में कुल 120 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की संभावना है। इनमें से 20 बसें डबल डेकर होंगी तथा 100 बसें 9 मीटर और 12 मीटर की होगी। महाकुंभ के दौरान इन बसों का संचालन मुश्किल है। ऐसे में महाकुंभ के बाद डबल डेकर बसें चलने लगेंगी।


प्रयागराज। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो ऐसे में प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो रहा है। 13 जनवरी से पहले शहर की सड़कों पर ई-बसें दौड़ने लगेंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों से श्रद्धालु आ-जा सकेंगे। शुरुआत में श्रद्धालुओं के लिए 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान पर्व तक 25 और बसों को लखनऊ मुख्यालय से प्रयागराज लाया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक बसें विभिन्न रूटों पर श्रद्धालुओं को परिवहन सेवा उपलब्ध कराएंगी। मौनी अमावस्या पर्व के पहले लगभग 40 बसें प्रयागराज आएंगी। इन बसों की सप्लाई स्विच मोबिलिटी द्वारा की जा रही है। बसों की लंबाई 12 मीटर है। एक चार्जिंग में यह लगभग 200 किलोमीटर से अधिक संचालित की जा सकेंगी। परिवहन निगम को मिली नई इलेक्ट्रिक बसें शहर और बाहर दोनों का रूट पर चलेंगी। नेहरू पार्क, बेला कछार और अंदावा समेत प्रयागराज में बसों की चार्जिंग का 4 जगह व्यवस्था है। मेला प्रशासन और पुलिस के द्वारा इनके रूट भी तय किए जा चुके हैं। पीक डेज में कुल 6 रूट्स पर बसों का संचालन होगा। सामान्य दिनों में 11 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी।

# महाकुंभ में किन्नर संतों का अद्भुत संसार

3 घंटे मेकअप में लगते हैं, 4 घंटे तप-साधना, ऐसा है किन्नर महामंडलेश्वर का जीवन

प्रयागराज। गले में सोने के मोटे-मोटे हार, कलाई पर रुद्राक्ष, सोने और हीरे से बने ब्रेसलेट, कानों में कई तोले की ईयर-रिंग, नाक में कटंपेरेरी नथ, माथे पर त्रिपुंड और लाल बिंदी... ये पहचान है आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की। आचार्य लक्ष्मी नारायण किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं। महाकुंभ-2025 के लिए किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा के साथ स्थ-घोड़े, गाजे-बाजे के साथ पहले नगर और फिर छावनी प्रवेश कर गया है। अभी यहां अखाड़े में शामिल करीब एक हजार किन्नर सतस पहुंचे हैं। देश-विदेश से इनके आने का सिलसिला जारी है। कुंभ क्षेत्र में हम आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मिलने पहुंचे। तब उनके एक शिष्य ने बताया- आचार्य मेकअप कर रही हैं, टाइम लगेगा। हमने पूछा- कितना समय? जवाब मिला- करीब 3 घंटे। हमसे बात करने के बाद शिष्य मेकअप रूम गया। 2 मिनट में ही लोट कर बोला- आचार्य ने आपको बुलाया है। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माथे पर त्रिपुंड और लाल बिंदी लगाकर बैठी थीं। बगल में उनके सहायक अर्जुन खड़े थे। डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बताती हैं- किन्नर श्रृंगार में ही अच्छे लगते हैं। हम अपने प्रभु के लिए श्रृंगार करते हैं। अमूमन हमारा श्रृंगार देखकर लोग पूछते हैं कि आप अपने साथ मेकअप आर्टिस्ट लेकर चलती हैं? मेरा जवाब होता है, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं कि मेकअप आर्टिस्ट लेकर चलें। हम लोगों ने खुद अपना मेकअप करना सीखा है।

महामंडलेश्वर हर दिन दुल्हन की तरह सजती-संवरती हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बताती हैं- इसके लिए 3 घंटे लगते हैं। फिर हम



अपने इसी स्वरूप के साथ आराध्य भगवान शिव की आराधना करते हैं। 4 घंटे तक भोलेनाथ की पूजा और प्रार्थना में लीन रहते हैं। यह सब 7 घंटे का है। कुंभ क्षेत्र में रहने के दौरान हर रोज यह साधना जारी रहेगी। इसके बाद ही भक्तों से भेंट करेंगे। किन्नर अखाड़े के अस्तित्व के लिए खूब संघर्ष किया आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने महाकुंभ क्षेत्र में बसें किन्नरों के एक ऐसे संसार के बारे में बताया, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वह बताती हैं- मेरा अक्टूबर, 2015 को किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में आया। वर्षों से समाज में किन्नर उपेक्षित ही रहे। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट आया। इसमें किन्नर (थर्ड जेंडर) को उन्हें अपना हक मिला। इसमें वह खुद इंटरविनर थीं। अखाड़े का गठन जितना आसान

था, उसे आगे बढ़ाना और अस्तित्व में लाना उतना ही मुश्किल। अखाड़े का गठन करने के बाद हम उज्जैन के कलेक्टर के पास गए और इसके

अखाड़े के गठन की मांग हो रही है। खास बात यह है कि इस अखाड़े में सिर्फ किन्नर या ट्रांसजेंडर ही नहीं, महिला-पुरुष भी शामिल होते हैं। यह सभी को साथ लेकर चलता है। दूसरे धर्म के लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं। जूना अखाड़े के संतों ने किन्नरों के लिए खोला दरवाजा वह आगे कहती हैं- 2019 में हमें जूना अखाड़ा का सपोर्ट मिला। जूना अखाड़े के संस्कृत हरि गिरि महाराज से मुलाकात हुई। हमारा अनुबंध जूना अखाड़े के साथ हुआ। इसमें यह तय हुआ कि कुंभ-महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेगा। इसके बाद 2019 में साधु-संन्यासियों ने अपने दरवाजे हम किन्नरों के लिए खोल दिए। अब इस किन्नर अखाड़े की पहचान सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में होती है। महामंडलेश्वर किन्नर आर्ट विलेज आचार्य लक्ष्मीनारायण बताती हैं- किन्नर अखाड़े के शिविर में इस बार किन्नर आर्ट विलेज भी तैयार किया जाएगा। इसमें पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी रहेगी। किन्नर अखाड़ा का शिविर महाकुंभ के सेक्टर-16 संगम लोवर मार्ग के दाहिनी पटरी पर लग रहा है। हमारे कार्यक्रम 10 जनवरी से शुरू होंगे। शिविर में पौष पूर्णिमा (13

जनवरी) से लेकर महाशिवरात्रि (26 फरवरी) तक हर दिन पूजन, रुद्राभिषेक, हवन और स्नानात्म धर्म को लेकर गोष्ठी सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर होते हैं लाखों फॉलोअर्स किन्नर अखाड़े के संत बहुत ही हाईटेक होते हैं। डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 80 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी तरह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरि, कल्याणी नंद गिरि, मोहनी नंद गिरि के अलावा पवित्रा नंद आदि के लाखों फॉलोअर्स हैं। कुंभ हो या महाकुंभ, सोशल मीडिया पर इनके रील भी सबसे ज्यादा वायरल होतें हैं।

आचार्य महामंडलेश्वर के जरिए बदली किन्नरों के प्रति धारणा किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने थर्ड जेंडरों से जुड़ी 2 किताबें भी लिखी हैं। पहली किताब 'मी हिजड़ा- मी लक्ष्मी' है। यह हिंदी, मराठी, इंग्लिश और गुजराती में है।

**सम्पादक**  
**सिद्धनाथ द्विवेदी**  
प्रबन्धक निदेशक  
**दीपक जयसवाल**  
सम्पादकीय कार्यालय  
**11ई/2, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद**  
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरराज्यी तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के आधीन होगा।